an>

Title: Need to impose restriction on polluting industries to acquire land in Janjgir-Champa Parliamentary Constituency in Chhattisgarh.

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जांजगीर चाम्पा पॉवर हब बनने जा रहा है। यहां करीब 29 पॉवर कम्पनियों के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया है जिससे उन्तीस हजार नौ सौ बत्तीस मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त चार हजार मेगावॉट के.एस.के. अकलतरा, एक हजार मेगावॉट तेंदूभांठा-मड़वा पॉवर प्लांट निर्माणाधीन है।

निर्माणाधीन पॉवर प्लांटों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि अधिगृहीत कर जल स्रोतों का दोहन किया जा रहा है। निर्माण कार्य करने के पहले प्रभावित ग्रामीणों से किए गए वायदों से वे मुकर रहे हैं। किसानों को उचित दर से मुआवजा, विस्थापन, रोजगार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण, प्रभावित कृषक परेशन हैं। उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।

अपनी उचित मांग के लिए धरना-प्रदर्शन के साथ आंदोलन करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा उनके विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज करने से बड़े, बूढ़े, नौजवानों, महिलाओं को जेल जाना पड़ रहा है।

<u>13.00 hrs</u>

सरकार से मेरी मांग है कि प्रदेश में कम सिंचित कृषि रकबा को देखते हुए अत्यधिक सिंचित जिला जांजगीर-चम्पा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों एवं सिंचित जमीन का उद्योगों के लिए अधिग्रहण प्रतिबंधित किया जाए। निर्माणाधीन प्लांट निर्धारित दर पर मुआवजा पुनर्वास प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरी की गारंटी के साथ क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों विशेषकर तेंदूभांठा-मड़वा के विरूद्ध दर्ज समस्त पुलिस प्रकरण वापस लेते हुए की गई समझौता को क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल के बचे हुए विषय शाम को लिए जाएंगे। The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

<u>13.01 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.